न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (जिला डीग)

प्रकरण सं0 203/2013 (जी.सी.एम.एस. नं0 2013/00021)

पीठासीन अधिकारी :– श्री देवीसिंह (R.A.S.)

उनवान

1– हरीसिंह पुत्र कुन्दन

2– बृजमोहन पुत्र कुन्दन (मृतक)

2/1– ओमवती पत्नी बृजमोहन

2/2– पिंकी पुत्री बृजमोहन

2/3– दीनदयाल पुत्र बृजमोहन

2/4– रवि पुत्र बृजमोहन

3–भोला सिंह पुत्र कुन्दन जातियान जाट निवासी अऊ दरवाजा कस्बा डीग तहसील डीग

------ वादीगण

बनाम

1– झब्बूसिंह
2– रनसिंह
} पिसरान पूरन जाति जाट निवासी अऊ दरवाजा कस्बा डीग तहसील डीग

-----प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट

वकील वादीगण :– श्री हरीकृष्ण शर्मा
वकील प्रतिवादीगण :– श्री प्रवीण चौधरी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.09.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3576/0.57, 3577/0.36, 3579/0.17 वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय में स्थित है। सबूत में नकल जमाबंदी पेश है।

यह कि उपरोक्त आराजी के गत खसरा नम्बरान सेटिलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 3138/4 बीघा 1 बिस्वा, 3139/4 बीघा 1 बिस्वा, 3150/1 बीघा 17 बिस्वा के रूप में थी।

यह कि वादीगण के पिता द्वारा उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से को प्रतिवादीगण के पिता पूरन से जरिये बयनामा खरीद किया गया था जिसका इन्द्राज भी राजस्व अभिलेख में हो गया था, दौराने सेटिलमेंट

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

उक्त साबिक खसरा नम्बरान के अन्य नये नम्बर 3578/0.17, 3570/0.50 के 1/2 हिस्से पर तो वादीगण के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज हो गया, परन्तु उक्त नये नम्बरान पर वादीगण के पिता के स्थान पर पुनः विकेता यानि प्रतिवादीगण के पिता के नाम इन्द्राज कर दिया गया जो गलत व खिलाफ कानून के है।

यह कि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता का स्वर्गवास हो गया है इस कारण प्रकरण में उनके वारिसानों को पक्षकार बनाया गया है।

यह कि राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वादीगण क पिता द्वारा क्रय किये गये उक्त खसरा नम्बरान पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया जा रहा है जिससे वादीगण को सख्त हकतलफी है और अजीम नुकसान है। विधि वजह वादीगण दावीदार है और उपरोक्त हाल आराजी खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात के राजस्व अभिलेख में सहकाश्तकार दर्ज है परन्तु उनसे कोई दादरसी नहीं चाही गयी है इस कारण प्रकरण हाजा मे सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि बिनाय मुखास्मत नकल जमाबंदी लेने पर व गलत इन्द्राज का इल्म होने पर दिनांक 24.08.2013 को कस्बा डीग द्वितीय में उत्पन्न हुई है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार की है और न्यायालय श्रीमान जी को वाद सुनने का अधिकार हासिल है।

अतः निवेदन है कि वादीगण को उपरोक्त आराजी मुत0 वर्णित मद सं0 2 अर्जी दावा के 1/2 हिस्से पर वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.08.2015 को जबाव दावा मिनजानिब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पेश किया। दावा व जबाव दावा की प्लाडिंग के आधार पर दिनांक 16.08.2016 को तनकीयात कायम की गई :–

1 आया वादीगण आराजी ख0 नं0 3576/0.57, 3577/0.36, 3579/0.17, वाकै ग्राम कस्बा डीग के 1/2 हिस्से के वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हैं और इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अपने नाम इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है। – वादी

2 आया उक्त खसरा नंबरान गत खसरा नं0 3138, 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150, 1 बीघा 17 बिस्वा दौराने सेटलमेंट बनाए गए हैं। गत खसरा नंबरान के 1/2 भाग को वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादीगण के पिता से जरिये बयनामा खरीद किया गया है। – वादी

3 आया वाद में तहसीलदार व जिला कलक्टर आवश्यक पक्षकार है, इस कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। – प्रतिवादीगण

4 आया यह कि वादी का वाद आर0टी0 एक्ट की सेक्शन – 13, 15, 19 की परिधि में नहीं आता है। इस कारण खारिज किये जाने योग्य है। – प्रतिवादीगण

5 अनुतोष ?

साक्ष्य वादीगण में दिनांक 17.10.2016 को पक्षकारान अधिवक्ता उप0। साक्ष्य वादी उप0 नहीं व मौका चाहा। वकील प्रतिवादी ने एतराज किया। पूर्व में साक्ष्य हेतु वकील वादी को पर्याप्त अवसर दिये है। अतः साक्ष्य वादी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नांक 21.09.2022 को वकील वादी ने रिकॉर्ड पेश किया। साथ ही सी0पी0सी0 7 नियम 14(3) का प्रार्थना पत्र
ा किया। दिनांक 02.11.2022 को वकील प्रतिवादी ने 7 नियम 14(3) सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया। दिनांक
3.05.2024 को 7 नियम 14(3) सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। दिनांक 08.10.2024 को 7 नियम 14(3)
ी0पी0सी0 स्वीकार किया गया। फार्म नं0 3 के साथ पेश किये गये दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने के
ादेश दिये गये। दिनांक 20.11.2024 को वकील वादी की बहस सुनी गई। दिनांक 30.04.2025 को प्रतिवादी
कील ने लिखित बहस पेश की। वादी वकील ने मौखिक बहस की।

वकील वादी ने बहस मे वाद पत्र की मद सं0 2 व 3 को पढा। साविक ख0नं0 1/2 हिस्सा वादी के पिता द्वारा
प्रतिवादी के पिता से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। प्रतिवादी का कहना है कि हमारे पिता ने कोई
बयनामा नही कराया है। बाद में जिला कलक्टर व तहसीलदार को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है। धारा 19ए,
19एए के तहत हमे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हक नहीं है। न्यायालय ने चार तनकी कायम की है।
तनकी सं0 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इसके साक्ष्य के रूप में बयनामा की कॉपी है जो
राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त की है। पुरानी जमाबंदी संवत 2022 प्रदर्श –4 पर पेश की है। गिलान क्षेत्रफल
प्रदर्श- 3 पर पेश किया है। पी0 डब्ल्यू–1 हरीसिंह, पी0 डब्ल्यू–2 उदयसिंह का मौखिक साक्ष्य परीक्षण कराया है।
प्रतिवादी ने बिना पढे जबाब दिया है, में धारा 19ए, 19एए के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है
जो कि गलत है, जो व्यक्ति 1963 में ही अपनी भूमि विक्रय कर चुका है। उसका नाम अभी तक जमाबंदी मे है।
जबकि 1963 से ही उक्त विवादित भूमि क्रेता के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं है। हम वादीगण 5 बीघा 2
बिस्वा भूमि अपने नाम कराने के अधिकारी है। मद सं0 4 को पढा। प्रतिवादी ने डी0 डब्ल्यू– 1 रनसिंह पुत्र
रूनसिंह के बयान कराये है। डी0 डब्ल्यू–2 सुरेश पुत्र किशनसिंह का शपथ पत्र पेश किया है। लेकिन जिरह के
लिए पेश नहीं किया है। ऐवीडेंस मान्य नहीं है। प्रतिवादी ने तनकी 3 व 4 को प्रतिवादी ने किसी भी साक्ष्य से
साबित नहीं किया है। मैने तनकी सं0 1 व 2 को साक्ष्य से साबित किया है। मेरा दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि वादीगण ने हाल आराजी ख0 नं0 3576/0.57,
3577/0.36, 3579 स्थित कस्बा डीग वाद पत्र में पेश किया है। अपने दावे में यह स्पष्ट नहीं किया है कि
कौनसा नंबर साविक आराजी से बना है। अपने वाद पत्र की मद सं0 4 में जिस रजिस्टर्ड बयनामा का उल्लेख
किया है। उसके निष्पादन दिनांक को अपने दावे में दर्ज नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा विधि
रूद्ध है। वादीगण ने अपने दावे में ख0 नं0 3576, 3577, 3579 के सहखातेदार काश्तकारों को पक्षकार मुकदमा
नहीं बनाया है जबकि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतापसिंह पुत्र ग्यासी, राजेन्द्रसिंह, शिशुपालसिंह पुत्र गोरधन,
खवीरी, कलिया पुत्रियां गोरधन सह खातेदार काश्तकार है जिनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। सह
खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने यह तथ्य अपने जबाब दावे में वर्ष
2015 में ही उठाया था इसके बावजूद भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। ऐसी सूरत में उक्त दावा अन्तर्गत
आदेश 1 नियम 9 सी0पी0सी के तहत काबिले खारिज किये जाने योग्य है। हाल आराजी खसरा नं0 3576 को
साबिक आराजी खसरा नं0 3138 रकबा निल, 3137 रकबा 7 बिस्वा, 3136 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा से निर्मित
किया है और प्रतिवादीगण के खसरा नं0 3138 का रकबा उक्त हाल नं0 3576 में नहीं मिलाया है। इसके अलावा
हाल खसरा नं0 3577/0.36 खसरा नं0 3136, 3137 व 3138 से बनाया गया है। जिससे वादीगण के खसरा नं0
3138 का रकबा मिला हुआ है और हाल खसरा नं0 3579/0.17 को प्रतिवादी के खसरा नं0 3135 रकबा 3
बिस्वा व 3150 रकबा निल से बनाया गया है और वादीगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से कतई
प्रमाणित नहीं किया है कि उनकी आराजी के प्रतिवादीगण के नाम किस तरह से कर दिया है। ऐसी सूरत में
वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित ना होने के कारण दावा खारिज योग्य है। वादीगण ने अपने साक्ष्य
में प्रदर्श–1 हाल जमाबंदी, प्रदर्श–2 हाल जमाबंदी को पेश किया है। जिसमें अन्य खातेदार पक्षकार मुकदमा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

है। वादी ने प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2057 लगायत 2060 व साबिक जमाबंदी पेश की है क्योंकि सेटलमेंट आपरेशन के दौरान उक्त आराजीयात को वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण की आराजी से भी मिलाकर बनाया गया था। मौके पर वादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। दावा निरस्त किया जावे। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.06.1963 एवं नामांतरणकरण की नकल पेश की है। लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं कराया है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान ने नरसी बनाम हेमाराम के मामले में डी बी द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बिना प्रदर्श कराये दस्तावेजों को न्यायालय साक्ष्य में नही पढ सकता है। क्योंकि वादीगण ने उक्त दस्तावेजात को वादीगण से प्रदर्शित नहीं कराया है। RRT 2022(1) पेज 68 पर प्रतिपादित दृष्टान्त पेश है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण के पिता को किसी प्रकार का रजिस्टर्ड बयनामा निष्पादित नही कराया था। तथाकथित रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.06.1963 की बाबत सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। सिविल न्यायालय को है।

हमने वादीगण के वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जबाब दावे गवाह पी0डब्ल्यू–1 हरीसिंह, पी0डब्ल्यू–2 उदयसिंह, डी0डब्ल्यू–1 रनसिंह के बयान एवं प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 बाकै ग्राम कस्बा डीग के हाल खसरा नं0 3576/0.57, 3577/0.36 पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 झब्बूसिंह, रनसिंह पि. पूरनसिंह 1/2 हिस्सा पर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 जमाबदी संवत 2065 से 2068 बाकै ग्राम कस्बा डीग के हाल खसरा नं0 3579/0.17 पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 झब्बूसिंह, रनसिंह पि. पूरनसिंह वहिस्सा बराबर 1/2 खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 के अनुसार

हाल खसरा नं0	रकबा	साबिक ख0नं0	रकबा
3576	0.57	3138 मि.	–
		3137 मि.	1 बीघा 2 बिस्वा
		3136 मि.	3 बीघा 8 बिस्वा
3577	0.36	3136 मि.	–
		3137 मि.	–
		3138 मि.	–
		3134 मि.	–
3579	0.17	3135 मि.	3 बीघा
		3150 मि.	–

दर्शित है।

प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2057 से 2060 कस्बा डीग द्वितीय हाल ख0नं0 3570 रकबा 0.50, 3578/0.17 पर कुन्दन पुत्र कन्नो 1/2 हिस्सा दर्ज है।

प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2023 से 2026 कस्बा डीग के ख0 नं0 3138 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पर कुन्दन पुत्र कन्नो 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–6 नकल नामान्तरणकरण सं0 1055 दिनांक 30.04.65 में साबिक ख0नं0 3138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पूरन व मौहरसिंह पिसरान कन्नी कौम फौजदार जरिये विक्रय पत्र नामान्तरण कुन्दन बल्द कन्नी निस्फ हिस्सा दर्ज है।

प्रदर्श–7 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.63 दस्तावेज सं0 148, पूरन बल्द कल्ली कौम फौजदार साकिन कस्बा डीग द्वारा आराजी खसरा नं0 3138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा मे अपने निस्फ हिस्से को 600 रू0 में कुन्दन बल्द कन्नी कौम फौजदार साकिन कस्बा डीग विक्रय किया है।

तनकी सं0 1–

आया वादीगण आराजी ख0 नं0 3576/0.57, 3577/0.6, 3579/0.17 बाकै ग्राम कस्बा डीग के 1/2 हिस्से के हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है और इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अपने नाम इन्द्राज करा पाने के अधिकारी ह।

प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 बाकै ग्राम कस्बा डीग के हाल खसरा नं0 3576/0.57, 3577/0.36 पर प्रतिवादीगण स0 1 व 2 झब्बूसिंह, रनसिंह पि. पूरनसिंह 1/2 हि0 पर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 बाकै ग्राम कस्बा डीग हाल खसरा नं0 3579/0.17 पर प्रतिवादीगण सं 1 व 2 झब्बूसिंह, रनसिंह पि. पूरनसिंह वहिस्सा बराबर 1/2 खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–3 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 के अनुसार हाल खसरा नं0 3576/0.57 साबिक खसरा नं0 3138 मि0, 3137 मि0 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 3176 मि0 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा से मिलकर बने है। हाल. खसरा नं0 3577/0.36 साबिक खसरा नं0 3136 मि0, 3137 मि0, 3138 मि0, 3134 मि0, से बना है, हाल खसरा नं0 3579/0.17 साबिक खसरा नं0 3135 मि0 रकबा 3 बीघा, 3150 मि0 से बना है।

प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2057 से 2060 कस्बा डीग द्वितीय हाल खसरा नं0 3570 रकबा 0.50, 3578/0.17 कुन्दन बल्द कन्नो हिस्सा 1/2 दर्ज है।

प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2023 से 2026 कस्बा डीग के खसरा नं0 3138 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पर कुन्दन पुत्र कन्नो 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–6 नकल नामान्करणकरण सं0 1055 दिनांक 30.04.65 साबिक खसरा नं0 3138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पूरन व मौहरसिंह पिसरान कल्ली कौम फौजदार जरिये विक्रय पत्र नामान्तरणकरण कुन्दन बल्द कन्नी निस्फ दर्ज है।

प्रदर्श–7 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.63 दस्तावेज सं0 148 पूरन बल्द कल्ली कौम फौजदार साकिन कस्बा डीग द्वारा आराजी खसरा नं0 3138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में अपने निस्फ हिस्से को 600 रू0 में कुन्दन बल्द कन्नी कौम फौजदार साकिन कस्बा डीग को विक्रय किया है।

प्रदर्श–7 अनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.63 दस्तावेज सं0 148 से वादीगण के पिता कुन्दन बल्द कन्नी ने साबिक आराजी खसरा नं0 3138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में पूरन बल्द कल्ली के 1/2 को क्रय किया है। जिसका प्रदर्श–6 पर नामान्करण सं0

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1055 दिनांक 30.04.65 दर्ज किया गया है। प्रदर्श– 5 जमाबंदी संवत 2023 से 2026 करवा डीग साबिक खसरा नं0 3138 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 1/2 हिस्से पर कुन्दन को खातेदार दर्ज किया गया है।

प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 बाकै ग्राम करवा डीग हाल खसरा नं0 3576/0.57, 3577/0.36, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 हाल खसरा नं0 3579/0.17 पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 झब्बूसिंह व रनसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। जबकि झब्बूसिंह व रनसिंह के पिता पूरनसिंह के द्वारा प्रदर्श–7 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.63 दस्तावेज सं9 148 द्वारा अपना 1/2 हिस्सा विक्रय किया है। प्रदर्श–6 जिसका नामान्तरण स0 1055 दिनांक 30.04.65 दर्ज कर क्रेता कुन्दन बल्द कन्नी के नाम खोला गया है। विक्रय करने के बाद विक्रेता के अधिकार समाप्त हो जाते है लेकिन किसी भी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खसरा नं0 3576/0.57, 3577/0.36, 3579/0.17 के हिस्से 1/2 पर विक्रेता पूरनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम दर्ज किये जा रहे हैं जोकि कलमजन योग्य है। दावा बावत उदघोषणा वादीगण स्वीकार किया जाता है। तनकी सं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी सं0 2–

आया उक्त खसरा नं0 गत खसरा नं0 3138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3139 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 3150 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा दौराने सेटलमेंट बनाए गए हैं। गत खसरा नंबरान के 1/2 भाग को वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादीगण के पिता से जरिये बयनामा खरीद किया गया है–वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श–7 नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में विक्रेता पूरनसिंह द्वारा क्रेता कुन्दन बल्द कन्नी को उक्त साबिक खसरा न0 3138, 3139, 3150 का 1/2 हिस्सा विक्रय गया है जिसका नामान्करण प्रदर्श–6, 1050 दिनांक 30.04.65 दर्ज कर कुन्दन बल्द कन्नी निस्फ हिस्सा दर्ज किया गया है, प्रदर्श–3 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नं से नये खसरा नं प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2065 से 2068, ख0नं0 3576/0.57, 3577/0.36, प्रदर्श–2 हाल खसरा नं0 3579/0.17 पर साबिक खसरा नं के विक्रेता पूरनसिह के पुत्र झब्बूसिंह व रनसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। हाल खसरा नं0 दौराने सेटलमेंट साबिक खसरा नं0 से बनाए गए है। तनकी स0 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3–

आया वाद में तहसीलदार व जिला कलक्टर आदायर पक्षकार है। इस कारण वादी का वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण प्रस्तुत वाद में वादीगण ने सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा है केवल प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से ही अनुतोष चाहा है। इसलिए तहसीलदार एवं जिला कलक्टर आदायर पक्षकार नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से चाहा है। तनकी सं0 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 4–

आया यह कि वादी वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15, 19 की परिधि में नहीं आया है। इस कारण खारिज योग्य है। वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत उदघोषणा का दावा किया है। गैर खातेदार से खातेदारी दिये जाने का प्रकरण नहीं है। वादीगण की धारा 13, 15, 19 के तहत कोई अनुतोष नहीं चाहा है। तनकी सं0 4 को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे है। तनकी सं0 4 भी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तनकी सं0 5— अनुतोष— उभयपक्षकार अपना —अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

तनकी सं0 1, 2, 3, 4, 5 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। दावा वादी घोषणा स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि —

वादीगण को दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0 एक्ट वादीगण का उपलब्ध साक्ष्य से साबित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नं0 3576/057, 3577/0.36, 3579/0.17 वाकै ग्राम कस्बा डीग द्वितीय वादीगण को 1/2 हिस्से पर वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाने का आदेश प्रदान किये जाते है। तथानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवीसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
डीग जिला डीग

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवीसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
डीग जिला डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.